

**SOCIAL JUSTICE, EMPOWERMENT, WELFARE OF SCHEDULED
CASTES & BACKWARD CLASSES AND ANTYODAYA (SEWA)
DEPARTMENT HARYANA**

Kalyan Bhawan, Bays No. 53-54, Sector-2, Panchkula

Advertisement

**Post Matric Scholarship Scheme for Scheduled Caste - 2022-23, 2023-24,
and 2024-25**

It is hereby informed that students who had applied under the Post Matric Scholarship Scheme for Scheduled Castes for the academic years 2022-23, 2023-24, and 2024-25 through the Harchhatravatti Portal, and whose scholarship applications were sent back due to incomplete documentation or non-verification, are required to rectify the deficiencies on the portal and contact their respective institutes/course departments within the stipulated time period mentioned below, so that their scholarship payments may be processed accordingly.

Academic Year	Deadline for Document Correction
2022-23	27 October 2025
2023-24	15 November 2025
2024-25	15 December 2025

It is also notified that after the stipulated deadline, no payment will be made for any pending Post Matric Scholarship applications for the academic years 2022-23, 2023-24, and 2024-25.

Director
Social Justice, Empowerment Welfare of
Scheduled Castes & Backward Classes
and Antyodaya (SEWA) Department,
Haryana

सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय
(एस.ई.डब्ल्यू.ए.) विभाग, हरियाणा बेज संख्या 53-54, सैक्टर-2, पंचकुला

विज्ञापन

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति – 2022-23, 2023-24 व 2024-25

जिन छात्रों ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23, 2023-24 व 2024-25 के लिए हर-छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन किये गए थे, उनमें से कुछ छात्रों के आवेदनों को किसी कारणवश सैण्ड बैक (दस्तावेजों की कमी या वेरीफिकेशन ना होने के कारण) किया गया। जिसके कारण उनकी छात्रवृत्ति लम्बित है। भारत सरकार द्वारा दिये गए निर्देशानुसार इन छात्रों को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में दर्शाये गए निर्धारित समयावधि तक पोर्टल पर अपने दस्तावेजों की कमियां दूर करते हुए सम्बन्धित संस्थान/विभाग में सम्पर्क करें ताकि आपकी छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा सके।

शैक्षणिक सत्र	निर्धारित समयावधि
2022-23	27 अक्टूबर 2025
2023-24	15 नवम्बर 2025
2024-25	15 दिसम्बर 2025

यह भी सूचित किया जाता है कि निर्धारित समयावधि उपरान्त शैक्षणिक सत्र 2022-23, 2023-24 व 2024-25 की किसी भी लम्बित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन का भुगतान नहीं किया जाएगा।

निदेशक

सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां
एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग,
हरियाणा, पंचकुला।